02.01.2018	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2016/00192 अपील संख्या 155/2016 (223 आर.टी.एक्ट) उनवानः– चरनसिंह बनाम निर्भयसिंह	
	वकील अपी. उप.। एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस है,कि अधि0 न्याया0 नें राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की गई है जबकि अपीलार्थी नियत दिनांक को न्याया0 में उपस्थित ही नहीं था। और न ही लोक अदालत सम्मन तामील हुए थे, अतः अधिनस्थ न्याया0 का आदेश अपास्त किया जावे एवं उभयपक्ष की उपस्थिती में राजस्व मंडल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए निर्णय पारित करने हेतु अधि0 न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे। रिकोर्ड से वकील अपीलार्थी के कथन कि पुष्टि होती है,अतः अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्याया0 का आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधि0 न्याया0 को इस निर्देष के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि राजस्व मंडल नियम 18 से 21की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनकर कुरेजात मंगवाये जावे एवं आपति पेश करने का अवसर देते हुए अन्तिम निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधि0 न्याया0 में दिनांक 15.02.2018 को उपस्थित रहे। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official